न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी:—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:—45 / 20 (2020 / 00073) प्रार्थना पत्र

अनवान

1—केसरदेवी पत्नि दौला कुमावत निवासी रूपाकाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

प्रार्थीया

बनाम

1—राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित

1. जाकिर हुसैन — प्रार्थीया अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 15.09.2020

पत्रावली में वर्णित प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम कलालखेड़ी पटवार हल्का बोराणा तहसील रायपुर के बैरून हल्के आबादी में प्रार्थीया के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की खाता संख्या 29 में अकिंत आराजी संख्या 149 रकबा 0.24 है0, आराजी संख्या 151 रकबा 0.08 है0, आराजी संख्या 152 रकबा 0.22 है0, आराजी संख्या 155 रकबा 0.25 है0, आराजी संख्या 157 रकबा 0.20 है0, आराजी संख्या 158 रकबा 0.19 है0 कुल किता 6 कुल रकबा 1.18 है0 भूमि स्थित है। प्रमाण में नकल जमाबन्दी मय नक्शा ट्रेस के साथ प्रस्तुत की है। प्रार्थीया की कृषि आराजियात में आवागमन का एकमात्र रास्ता गांव से आने वाली बिलानाम सरकारी सड़क से होते हुए विपक्षी की आराजी संख्या 156 की उत्तरी पाली पर होते हुए 20 फीट चौड़ा रास्ता प्रार्थी की आराजी नम्बर 155 में जाता है। जिससे प्रार्थीया इसी से आवागमन करते हुए फसल वर्षो से काश्त कर रही है। इसी रास्ते से संज, बैल, बैलगाड़ी, ट्रेक्टर आदि ले जाती है। प्रार्थीया की कृषि आराजियात में उक्त रास्ते के अलावा कोई अन्य रास्ता नही है। उक्त रास्ता अत्यन्त आवश्यकता का रास्ता है। उक्त रास्ता मौके पर खुला हुआ परन्तु कुछ लोग आये दिन अतिक्रमण कर रास्ते को बन्द कर देते है। अतः सादर प्रार्थना है कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम कलालखेड़ी में उक्त वर्णित आराजियात में आवागमन का रास्ता विपक्षी की आराजी संख्या 156 की उत्तरी पाली पर 20 फीट चौड़ाई में बिलानाम सरकारी गै.मु. रास्ता दर्ज कराने का आदेश तहसीलदार साहब रायपुर को प्रदान फरमाया जाकर रास्ते के रूप में काम आने वाली भूमि की डीएलसी दर से राशि विपक्षी को दिलाने का आदेश प्रदान फरमाया जाए।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रकरण दिनांक 31.07.2020 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना में विपक्षी की ओर से लिखित में अलग से जवाब प्रस्तुत नही कर मौका रिपोर्ट पेश की जो शामिल पत्रावली की गई।

तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में अंकन किया कि ग्राम कलालखेड़ी की आराजी नम्बर 149, 151, 152, 155, 157, 158 कुल किता 6 कुल रकबा 1.18 है0 में आवागमन हेतु बिलानाम आराजी नम्बर 156 में रास्ते हेतु वाद दायर किया है। वर्तमान में उक्त आराजियात में आवागमन हेतु बिलानाम आराजी नम्बर 472 मे से होते हुए बिलानाम आराजी नम्बर 470 व 156 में होकर अपनी खातेदारी आराजी नम्बर 158 में प्रवेश करता है। बिलानाम आम रास्ता 474 से बिलानाम आराजी नम्बर 470 [illegible] रास्ता चालु है। आराजी

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2020.09.29 12:49:38 IST
Reason: SelfAttested

नम्बर 469 पुरानी पगड़डी रास्ता थी जो वर्तमान में आवागमन के उपयोग में नही आ रही है। प्रार्थीया अपनी आराजियात में आवागमन हेतु बिलानाम आराजी नम्बर 141 व 143 में होकर भी अपनी भूमि से आती जाती है। आराजी गै.मु. नाली होकर मौके पर बरसाती नाला है। वर्तमान में प्रार्थीया बिलानाम आम रास्ते 474 से होकर बिलानाम आराजी नम्बर 470 व 156 से होकर आवागमन कर रही है। रास्ते हेतु प्रस्तावित बिलानाम आराजी नम्बर 470 रकबा 0.71 है0 मे से 0.0150 है0 व आराजी नम्बर 156 रकबा 0.14 है0 मे से 0.0050 है0 कुल रकबा 0.0200 है0 यानि 200 वर्गमीटर भूमि की डीएलसी दर 53640 रूपये से 4964 रूपये की दुगुना राशि 9928 रूपये मुआवजा राशि बनती है। मौके पर वर्तमान चालु रास्ते को बल्यू स्याही से एवं प्रस्तावित रास्ता को लाल स्याही से नक्शा ट्रेस में दर्शाया गया है। मौके पर खातेदार द्वारा बिलानाम आम रास्ता 474 से बिलानाम आराजी नम्बर 470 व 156 का रास्ता हेतु उपयोग कर रहा है। प्रस्तुत वाद में बिलानाम आराजी नम्बर 156 से रास्ता चाहा गया है जबकि बिलानाम ग्रेवल सड़क आराजी नम्बर 474 से बिलानाम आराजी नम्बर 470 व 156 दोनो मे से रास्ता गुजर रहा है अतः आराजी नम्बर 470 मे से रास्ता गुजर रहा है अतः आराजी 470 मे से भी रास्ता प्रस्तावित किया गया है।

प्रकरण में प्रार्थीया अधिवक्ता की बहस सुनी गई प्रार्थीया अधिवक्ता द्वारा बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए मौका रिपोर्ट अनुसार डीएलसी दर पर रास्ता उपलब्ध कराने हेतु प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमावे। साथ ही निवेदन किया कि तहसीलदार रायपुर द्वारा जो बल्यू स्याही से रास्ता दर्शाया गया है वो प्रार्थी के मकान से ज्यादा दुर होने से प्रस्तावित रास्ते को रेकार्ड में दर्ज कराया जाना फरमावे।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड तथा तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट एवं वादी अधिवक्ता की बहस पर मनन तो पाया कि प्रार्थी वर्तमान में जिस जगह रास्ते का उपयोग कर रहा है वह आराजी नम्बर 470 व 156 होकर बिलानाम गे.का.का. सरकार दर्ज रेकार्ड है जहां प्रार्थीया का मौका रिपोर्ट के अनुसार आवागमन होता है ऐसी स्थिति प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251ए स्वीकार किया जाकर प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के आधार पर आदेश दिया जाता है कि ग्राम कलालखेड़ी तहसील रायपुर में स्थित प्रार्थीया की खातेदारी आराजी में आवागमन हेतु विपक्षी संख्या 1 आराजी नम्बर 470 रकबा 0.71 है0 मे से 0.0150 है0 यानि 150 वर्गमीटर भूमि, आराजी नम्बर 156 रकबा 0.14 है0 मे से 0.0050 है0 यानि 50 वर्गमीटर भूमि कुल 200 वर्गमीटर भूमि जिसकी डीएलसी दर रूपये 53640 रूपये प्रति बीघा है। प्रस्तावित रास्ते हेतु प्रर्युक्त भूमि 200 वर्गमीटर जिसकी डीएलसी दर अनुसार भूमि किमत 4964 रूपये की दुगुनी राशि 9928 रूपये मुआवजा राशि बनती है जिसका प्रार्थीया द्वारा राजकोष में जमा कराने उक्त भूमि को बिलानाम सरकार गे.मु. रास्ता दर्ज किये किया जावे। पालना हेतु तहसीलदार रायपुर को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 15.09.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुन्दर लाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
[illegible] भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2020.09.29 12:49:38 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—45 / 20 (2020 / 00073) प्रार्थना पत्र

अनवान

1—केसरदेवी पत्नि दौला कुमावत निवासी रूपाकाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थीया

बनाम

1—राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर0टी0एक्ट

प्रेषित :—तहसीलदार रायपुर हुक्मनामा रास्ता दर्ज कराने बाबत्

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251ए स्वीकार किया जाकर प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के आधार पर आदेश दिया जाता है कि ग्राम कलालखेड़ी तहसील रायपुर में स्थित प्रार्थी की खातेदारी आराजी में आवागमन हेतु विपक्षी संख्या 1 आराजी नम्बर 470 रकबा 0.71 है0 मे से 0.0150 है0 यानि 150 वर्गमीटर भूमि, आराजी नम्बर 156 रकबा 0.14 है0 मे से 0.0050 है0 यानि 50 वर्गमीटर भूमि कुल 200 वर्गमीटर भूमि जिसकी डीएलसी दर रूपये 53640 रूपये प्रति बीघा है। प्रस्तावित रास्ते हेतु प्रर्युक्त भूमि 200 वर्गमीटर जिसकी डीएलसी दर अनुसार भूमि किमत 4964 रूपये की दुगुनी राशि 9928 रूपये मुआवजा राशि बनती है जिसका प्रार्थी द्वारा राजकोष में जमा कराने उक्त भूमि को बिलानाम सरकार गे.मु. रास्ता दर्ज किये किया जावे।

हुक्मनामा आज दिनांक 15.09.2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर से जारी किया।

15.9.2020

(सुन्दर लाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर, जिला भीलवाड़ा

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर (भीलवाड़ा)

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रायपुर
सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2020.09.29 12:49:38 IST
Reason: SelfAttested